पत्र संख्या–जी0एस0टी0/2018–19/ 1819099 / 1237 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::15फरवरी, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कार्पोरेट),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

वर्तमान में विभागीय स्तर पर जी0एस0टी0 के अन्तर्गत देय रिफण्ड के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण शासन एवं जी0एस0टी0 काउंसिल की प्राथमिकता में है। इस संबंध में स्टेकहोल्डर्स से मैनुअली प्राप्त रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण एवं पोर्टल पर प्रदर्शित परन्तु भौतिक रूप से कार्यालय में प्राप्त न होने वाले प्रार्थना पत्रों के विषय में पूर्व में यह निर्देश निर्गत किया गया है कि स्टेकहोल्डर्स से वार्ता कर प्रार्थना पत्रों को प्राप्त कर निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाना है।

दिनांक 06.02.2019 को जी0एस0टी0 रिफण्ड के संबंध में विभागीय माड्यूल पर अपलोड Refund Statement by addl. commissioner की समीक्षा पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पोर्टल पर कुल 21812 प्रार्थना पत्र अपलोड हैं जिनसे आच्छादित धनराशि रू0 1695.05 करोड़ है, जिसमें से 15430 प्रार्थना पत्र मैनुअली कार्यालय में प्राप्त कराये गये हैं, जिससे आच्छादित धनराशि रू0 1548.93 करोड़ है, जिसमें से रू0 1469.25 करोड़ धनराशि से आच्छादित 14486 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया है। पोर्टल पर अपलोड़ प्रार्थना पत्रों की तुलना में निस्तारित प्रार्थना पत्रों की प्रगति अच्छी नहीं है।

अतः उक्त के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को अवगत करा दिया जाये कि वह रिफण्ड के प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता पर नियमानुसार जॉच करते हुये सुनिश्चित करें तथा पूर्व की भांति प्रत्येक शुक्रवार तक की साप्ताहिक निस्तारण की रिपोर्ट, अगले सोमवार को विभागीय माड्यूल पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 की लॉगिन से ऑन लाईन फीडिंग की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि रिफण्ड का ट्रेजरी से समय से भुगतान भी हो जाये। इस निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जी0एस0टी0 अनुभाग साप्ताहिक प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा कर मुझे अवगत करायेंगे।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।